न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील/आरटीआई/17/2022

नगेन्द्र कुमार शर्मा, खादी भण्डार के पास जवाहर कांलोनी भुसावर जिला भरतपुर।

बनाम

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) डीग।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 30.03.2022**

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि नगेन्द्र कुमार शर्मा, खादी भण्डार के पास जवाहर कांलोनी भुसावर जिला भरतपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 10.01.2022 से निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) डीग से सूचना चाही गई थी। अपीलार्थी ने निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) डीग द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/कोर्ट/147 दिनांक 15.03.2022 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी डीग से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। इस संबध में उपखण्ड अधिकारी डीग से पत्र क्रमांक आरटीआई/2022/5009 दिनांक 23.03.2022 के द्वारा जबाब प्राप्त हुआ जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई बिन्दुओं की सूचनाऐं उपखण्ड अधिकारी डीग ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्ट ने उपखण्ड अधिकारी डीग से सूचनांऐं उपलब्ध कराये जाने व अपील में वर्णित बिन्दुओं के सबंध में सूचना बाबत प्रार्थना की है। उपखण्ड अधिकारी डीग से प्राप्त जबाब पत्र क्रमांक आरटीआई/2022/5009 दिनांक 23.03.2022 का अवलोकन किया गया। उपखण्ड अधिकारी डीग ने अपने जबाब पेश करते हुये अपीलार्थी को सूचना पत्र क्रमांक आरटीआई/2021/3026 दिनांक 03.02.2022 से सूचना उपलब्ध करा दी गई है। इससे जाहिर होता है कि रेस्पो. ने अपीलांट को वांछित सूचनाऐं उपलब्ध करा दी हैं।

अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (उपखण्ड अधिकारी डीग से प्राप्त पत्रादि की प्रति संलग्न कर) प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी डीग को भी भेजी जावे।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर
भरतपुर